

thereunder have been on the increase as may be seen from the following table (latest available):—

Year (At the end of)	Agriculture Advances	
	No of Accounts	Balance out- standing (in Rs. crores)
December 76 .	17,367	1.74
December 77 .	34,100	2.72
December 78 .	38,720	4.22

The advances have gone up to 2½ times in the three years which is comparable to the position in other states.

(b) A Committee has been appointed by the State Bank of India to identify factors impeding the flow of credit to all sectors of economy including agriculture from institutional agencies in J&K. Committee's report is awaited. However, as a matter of general policy, banks have been advised to increase their agricultural lendings to small and marginal farmers to the extent of 50 per cent of their total agricultural advances by 1982-83. As for rates of interest being charged to priority sectors, which includes agriculture, they are already lower compared to other sectors. Further, rates of interest charged to small farmers have also been concessional *vis-a-vis* those charged to other farmers.

(c) In as much as commercial banks are concerned, their performance in a particular State depends upon several factors such as, extent of need for credit, credit absorption capacity and existence of infrastructural facilities. The Credit Deposit ratio of banks in Jammu and Kashmir is very low (35.4 per cent as on June 1979) due mainly to the above reasons. Special benefits in the nature of concessional rates of interest, relaxed security

norms, simplified application forms etc. extended to farmers in other States have already been extended to those in Jammu & Kashmir. The implementation of District Credit Plans drawn up for the districts in the State which take into account the present growth, scope for future growth etc. will give a boost to agricultural development in particular and raise the credit deposit ratio in the State.

किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण देने के
लिये बंधक रखने में संवधान

3835. श्री मंगलदास महसूब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलकूपों आदि के लिये बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों पर उनकी समस्त भूमि बंधक रखी जाती है जबकि ट्रकों, कारखानों आदि के लिये ऋणों के मामले में केवल वही वस्तु बंधक रखी जाती है जिसके लिये ऋण दिया गया है ; और यदि हां, तो सरकार की इस नीति में इस प्रकार के भेद-भाव के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नीति में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मंगलदास महसूब)

(क) सामान्यतः चल परिसंपत्तियों के वास्ते स्वीकार किये गये ऋण को उक्त संपत्तियों के दृष्टि बंधक (हाइपोथेकेशन) के द्वारा सुरक्षित कर लिया जाता है। जहां ऋण भूमि विकास अथवा अन्य अचल संपत्तियों के लिये दिया जाता है वहां भूमि सहित ऐसी परिसंपत्तियों को गिरवी रखा जाता है। ट्रकवैलों के लिये दिये गये ऋणों को बैंक के विवेकाधिकार पर भूमि को गिरवी रखकर सुरक्षित किया जाता है। ट्रकों के वास्ते दिये गये ऋणों का भूमि से कोई संबंध नहीं है इसलिये इसके वास्ते भूमि का बंधक रखा जाना कोई जरूरी नहीं है। कारखानों के मामले में जो संयंत्र और मशीनों जैसी अचल संपत्तियों को अर्जित करते हैं उन संबंध में ऋणों को भूमि सहित अचल संपत्तियों को बंधक के रूप में रख कर सुरक्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।]